

बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र सं० - एन.एच.एम./बी.एच.डी.एस.-204/2015 282 /कृ०, पटना दिनांक 09 मार्च, 2016
प्रेषक,

प्रभु राम,
निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

#अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

#द्वारा - वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय-

बिहार बागवानी विकास सोसाईटी को Vegetable Initiative for Urban Clusters (VIUC) के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से वर्ष 2015-16 में 9.00 करोड़ (नौ करोड़) रुपये सहायतानुदान की निकासी एवं व्ययन की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार बिहार बागवानी विकास सोसाईटी को Vegetable Initiative for Urban Clusters (VIUC) के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से वर्ष 2015-16 में 9.00 करोड़ (नौ करोड़) रुपये, (केन्द्रांश 5.40 करोड़ एवं राज्यांश 3.60 करोड़) सहायतानुदान की निकासी एवं व्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में Vegetable Initiative for Urban Clusters (VIUC) के लिए स्वीकृत अवयवों के कार्यान्वयन हेतु इस राशि का उपयोग किया जाएगा।

2. भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वर्ष 2010-11 में Vegetable Initiative for Urban Clusters (VIUC) की स्वीकृति राज्य के तीन जिलों यथा - पटना, नालन्दा एवं वैशाली में दी गई थी। इस योजना के तहत जैविक विधि से सब्जी की खेती को प्रोत्साहित किया जाता है। जैविक विधि से उत्पादित सब्जी मानव एवं पशु स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। योजना के तहत संकर प्रभेद एवं खुला परागण प्रभेद के सब्जी खेती हेतु सब्जी बीज, जैव उपादान, जैव रसायन, इत्यादि कृषकों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाता है। योजना के तहत इकाई लागत का 75 प्रतिशत देय सहायतानुदान अनुमान्य है। इसके अतिरिक्त इस योजना के तहत केन्द्र प्रायोजित योजना MIDH (Mission for Integrated Development of Horticulture) के तहत राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा निर्धारित सहायतानुदान के आधार पर संरक्षित खेती, अल्प लागत का प्याज भंडारण इकाई एवं कृषक प्रशिक्षण सह परिभ्रमण अवयवों का कार्यान्वयन नालन्दा, पटना एवं वैशाली जिलों में कराया जा रहा है। सब्जी की खेती को बढ़ावा देना, कृषि रोड मैप का एक प्रमुख लक्ष्य है। सब्जी की खेती से किसानों की आय में वृद्धि होती है। ये फसलें मानव के संतुलित आहार के लिए आवश्यक है तथा अतिरिक्त रोजगार सृजन का एक प्रमुख स्रोत है।

Vegetable Initiative for Urban Clusters (VIUC) का 2015-16 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम (अनुलग्नक-1) संलग्न है।

संजय कुमार सिन्हा

3. Vegetable Initiative for Urban Clusters (VIUC) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में शामिल है। भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्य स्तरीय स्वीकृति (प्राधिकृत) समिति द्वारा Vegetable Initiative for Urban Clusters (VIUC) के लिए मो० 9.00 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त है। योजना के तहत संकर प्रभेद एवं खुला परागण प्रभेद के सब्जी खेती हेतु सब्जी बीज जैव उपादान, जैव रसायन, इत्यादि कृषकों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाता है। संकर प्रभेद की सब्जी खेती का इकाई लागत 45,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर तथा खुला परागण प्रभेद के सब्जी खेती का इकाई लागत 30,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर भारत सरकार द्वारा निर्धारित है। योजना के तहत इकाई लागत का 75 प्रतिशत देय सहायतानुदान अनुमान्य है। यह योजना राज्य के 3 (तीन) जिलों यथा पटना, नालन्दा एवं वैशाली में कार्यान्वित कराया जायेगा, जिसका संचालन जिला स्तर पर सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा।

4. Vegetable Initiative for Urban Clusters (VIUC) के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर बिहार बागवानी विकास सोसाईटी एवं जिला स्तर पर जिला बागवानी विकास समिति गठित है। बिहार बागवानी विकास सोसाईटी के राज्य स्तर पर कार्यकारी प्रधान मिशन निदेशक एवं जिला स्तर पर जिला बागवानी विकास समिति के अध्यक्ष संबंधित जिलो के जिला पदाधिकारी हैं।

5. Vegetable Initiative for Urban Clusters (VIUC) के तहत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना मद की स्वीकृत राशि कृषि विभाग द्वारा बिहार बागवानी विकास सोसाईटी के लिए विमुक्त किया जायेगा। बिहार बागवानी विकास सोसायटी द्वारा निधि, संबंधित जिला के जिला बागवानी विकास समिति को विमुक्त किया जायेगा। कार्यक्रम के लिए स्वीकृत राशि बजट उपबंध की सीमा में सोसायटी को विमुक्त की जायेगी।

6. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में उक्त योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में बजट उपबंध से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है :-

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि			(राशि करोड़ रू० में) प्रस्तावित योजना की आवश्यकता राशि		
	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
मुख्य शीर्ष 2401 - फसल कृषि कर्म -- उपमुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष -109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-मांग सं०-1 उपशीर्ष-0216- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई) (ए.सी.ए.), विपत्र कोड- P2401001090216, पी.एफ.एम.एस. कोड - 9145, विषयशीर्ष-3106- सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	189.1736	-	189.1736	4.4820	-	4.4820
मुख्य शीर्ष 2401 - फसल कृषि कर्म -- उपमुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष -789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग सं०-1 उपशीर्ष-0203- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई) (ए.सी.ए.), विपत्र कोड- P2401007890203, पी.एफ.एम.एस. कोड - 9145, विषयशीर्ष-3106- सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	36.4672	-	36.4672	0.8640	-	0.8640
मुख्य शीर्ष 2401 - फसल कृषि कर्म -- उपमुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष -796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मांग सं०-1 उपशीर्ष-0231- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई) (ए.सी.ए.), विपत्र कोड- P2401007960231, पी.एफ.एम.एस. कोड - 9145, विषयशीर्ष-3106- सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	2.2792	-	2.2792	0.0540	-	0.0540
मुख्य शीर्ष 2401 - फसल कृषि कर्म -- उपमुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष -109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-मांग सं०-1 उपशीर्ष-0316- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई) (ए.सी.ए.), विपत्र कोड- P2401001090316, विषयशीर्ष-31 06- सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	-	146.5462	146.5462	-	2.9880	2.9880

letter dt. 23.02.16

संसाधन विभाग

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि			प्रस्तावित योजना की आवश्यकता राशि		
	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
मुख्य शीर्ष 2401 - फसल कृषि कर्म - उपमुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष -789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक - योजना-मांग सं०-1 उपशीर्ष-0303- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई) (ए.सी.ए.), विपत्र कोड- P2401007890303, विषयशीर्ष-31 06- सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	-	30.4224	30.4224	-	0.5760	0.5760
मुख्य शीर्ष 2401 - फसल कृषि कर्म - उपमुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष -796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-मांग सं०-1 उपशीर्ष-0331- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई) (ए.सी.ए.), विपत्र कोड- P2401007960331, विषयशीर्ष-31 06- सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	-	13.1714	13.1714	-	0.0360	0.0360
योग	227.9200	190.1400	418.0600	5.400	3.600	9.000

7. बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी को अनुदान के रूप में स्वीकृत 9.00 करोड़ (नौ करोड़) रुपये मात्र की निकासी निदेशक, उद्यान, बिहार द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी को अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी बी.टी.सी. फार्म-42 पर की जायेगी, जिसके साथ बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी से पूर्व प्राप्त रसीद संलग्न की जायेगी। निकासी उपरान्त अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी पटना के पी.एल. खाता में जमा की जाएगी। बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी योजना की उक्त राशि अपने पी.एल. खाता से दो समान किस्तों में आहरित कर संबंधित जिला बागवानी विकास समिति को योजना कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध करायेगी, जिसका कार्यान्वयन संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी।
8. अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए उपबंधित राशि का व्यय क्रमशः अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लाभुकों के लिए किया जायेगा। स्वीकृत राशि से जिला की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी के प्रतिशत के अनुसार उनके कल्याणार्थ राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1 प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी प्रयास किया जायेगा कि लाभुक में से न्यूनतम 30 प्रतिशत महिला कृषकों की भागीदारी हो।
9. उक्त योजना के लिए केन्द्रांश की राशि कृषि विभाग द्वारा बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी को विमुक्त की जायेगी। बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी द्वारा निधि संबंधित जिला के जिला बागवानी विकास समिति को विमुक्त किया जायेगा।
10. योजना कार्यान्वयन के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा यथाआवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।
11. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.03.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि० (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति संचिका संख्या- एन.एच.एम./बी.एच.डी.एस.-204/2015 के पृ० सं० 19/टि० पर प्राप्त है। मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 16.02.2016 को आयोजित बैठक में इस योजना में स्वीकृति दी गयी है।
12. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति दिनांक 26.02.2016 को प्राप्त है, जो संचिका संख्या- एन्.एच.एम./बी.एच.डी.एस.-204/2015 के पृष्ठ संख्या- 21/टि० पर संधारित है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(प्रभु राम)

निदेशक प्रशासन -सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 282

/क०,पटना दिनांक 09 मार्च, 2016

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार, बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन -सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 282

/क०,पटना दिनांक 09 मार्च, 2016

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन -सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 282

/क०,पटना दिनांक 09 मार्च, 2016

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन -सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 282

/क०,पटना दिनांक 09 मार्च, 2016

प्रतिलिपि- अध्यक्ष, राज्य किसान आयोग, बिहार, पटना/ उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/ कृषि मंत्री के आप्त सचिव/ कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/ संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/ मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम० कृषि विभाग, बिहार, पटना/ सभी जिला उद्यान पदाधिकारी/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन -सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 282

/क०,पटना दिनांक 09 मार्च, 2016

प्रतिलिपि- अवर सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सेल, कृषि भवन, नई दिल्ली-110114/कृषि सलाहकार, योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली- 110001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन -सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

letter dt. 23.02.16

संजय कुमार सिन्हा

